निगरानी 1016-II-15

प्र.क्र आर.....

पेशी दिनांक .....

न्यायालय श्रीमान सदस्य महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर

धुलीया पिता उकार जी चमार आयु 56 वर्ष
निवासी ग्राम तितरी तह. व जिला रतलाम ------निगरानीकर्ता

विरूद्ध

1. मांगीया पिता उकार जी चमार आयु 76 धंधा कृषि कार्य
निवासी तितरी तह. रतलाम जिला रतलाम म.प्र.
2. वरदीचन्द्र पिता मेघाजी आयु वयस्क
निवासी घटला जिला रतलाम
3. गिरधारी पिता मेघाजी आयु वयस्क
निवासी घटला जिला रतलाम
4. सुन्दरबाई पिता मेघाजी आयु वयस्क
निवासी नेगढदा जिला रतलाम
5. चंपालाला पिता अम्बाराम आयु 45 वर्ष
6. घीसालाल उर्फ पिरू पिता अम्बाराम आयु 42 वर्ष
7. दशरथ पिता अम्बाराम आयु 39 वर्ष
8. ईश्वरलाल पिता अम्बाराम आयु 35 वर्ष
9. सुरेश पिता अम्बाराम आयु 30 वर्ष
समस्त निवासीयान ग्राम करमदी तहसील
व जिला रतलाम

---प्रत्यार्थीगण

निगरानी आवेदन अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं. 1959

माननीय महोदय,

श्रीमान अपर आयुक्त महोदय, न्यायालय उज्जैन संभाग उज्जैन के द्वारा उनके न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 246/07-08/अपील प्रकरण में दिनांक 04-02-2015 को पारीत आदेश से असन्तुष्ट एवं व्यथित होकर प्रार्थी निगरानीकर्ता की ओर से यह निगरानी माननीय श्रीमान के न्यायालय में प्रस्तुत की जा रही है–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

1. प्रकरण के सक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि यह कि प्रार्थी रिविजनकर्ता धुलिया के द्वारा श्रीमान नायब तहसीलदार महोदय टप्पा मुंदडी तेह. रतलाम जिला रतलाम के न्यायालय में

निरंतर.....02

XXXa BR H-11

राजस्व् मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

धुलीया /मांगीया आदि

जिला –रतलाम

प्रकरण कमांक निग0 1016–दो/15

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
3/3/16	आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग उज्जैन के प्रकरण कमांक 246/2007–08/अपील आदेश दिनांक 4–2–2015 से असंतुष्ट होकर इस न्यायालय में प्रस्तुत की है । प्रकरण का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि आवेदिका धुलीया द्वारा नायब तहसीलदार न्यायालय में अनावेदक क0 1 तथा स्वयं के बीच बटवारा करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया था । जिस पर बटवारा फर्द अनुसार न्यायालय तहसीलदार द्वारा दिनांक 11–10–2006 को बटवारा स्वीकार करने का आदेश पारित किया । इस आदेश के विरूद्ध अनावेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जो निरस्त हुई तथा नायब तहसीलदार का पारित आदेश यथावत रखा । अनुविभागीय अधिकारी के विरूद्ध अपर आयुक्त उज्जैन न्यायालय में द्वितीय अपील प्रस्तुत की जिसमें अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 4–2–2015 को अनुविभागीय अधिकारी तथा नायब तहसीलदार के आदेश को विधि अनुकूल न मानते हुए निरस्त किया । अपर आयुक्त, के उक्त आदेश के विरूद्ध यह निगरानी राजस्व मण्डल न्यायालय में प्रस्तुत की गयी । आवेदक अभिभाषक का तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय में जिस बटवारा आदेश दिनांक को चुनौती दी गयी वह आदेश दो सगे भाईयों के सहभूमि स्वामी के खाते पर 1/2 – 1/2	

R1016-II/15 जिला २०७३०

के मान से खाते के तमाम सर्वे नम्बरों पर फर्द बटवारा पर किसी प्रकार की आपत्ति नही आने पर नायब तहसीलदार द्वारा किया गया था । फिर भी अपर आयुक्त, ने उक्त आदेश को निरस्त कर वैधानिक त्रुटि की है ।

अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण का अवलोकन किया । इससे प्रकट होता है कि अपर आयुक्त, ने अपने आदेश में यह माना की इस प्रकरण में एक पक्ष भूमि पर 40 साल पूर्व से कब्जे के अनुसार बटवारा कराना चाहता है। तथा दूसरा पक्ष सभी खाते की भूमि पर फर्द के आधार पर बटवारा कराना चाहता है । इस प्रकार स्वत्व का प्रश्न न होकर बटवारे की प्रकिया का प्रश्न है । नायब तहसीलदार द्वारा अपने आदेश दिनांक 23–9–2006 में यह आदेशित किया है कि प्रकरण में फर्दपर कोई आपत्ति नहीं की गई । जबकि नायब तहसीलदार द्वारा जब बटवारा आदेश किया गया तब उभयपक्षों की परस्पर सहमति कायम नहीं हुई थी । नायब तहसीलदार को उभयपक्ष के साक्ष्य लेकर प्रकरण का निराकरण करना चाहिए था । परन्तु नायब तहसीलदार उभयपक्षों की साक्ष्य लेकर कार्यवाही न किए जाने से अपर आयुक्त, ने नायब तहसीलदार का आदेश दिनांक 11–10–2006 विधि सम्मत नहीं माना इसलिये नायब तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त किया है । साथ ही उभयपक्षों को अधीनस्थ न्यायालय में बटवारा आवेदन प्रस्तुत करने हेतु स्वतन्त्र बताया है । अपर आयुक्त, का उक्त आदेश वैधानिक रूप से उचित है, जिसमें हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता प्रकट नहीं है। अतः निगरानी ग्राहय करने को कोई आधार न होने से निगरानी अग्राहय की जाती है ।

सदस्य